



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन
संख्या - 444 / 2026

रविशंकर

बनाम

..... आवेदक

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : धीरज अवस्थी, शैलेंद्र कुमार मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अनुराग त्रिवेदी, श्याम शंकर
उपाध्याय

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिवेदी और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम शंकर उपाध्याय तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखी सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 30/2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बी.एन.एस.") की धारा 64, 351(3) के अंतर्गत, थाना- दही, जिला- उन्नाव के संबंध में दायर की है।
3. दिनांक 11.03.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। दिनांक 11.03.2026 का आदेश, जिसका सन्दर्भ दिया गया है, इस तरह है :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री जुगल किशोर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग द्विवेदी एवं श्री श्याम शंकर, जो पीड़िता की ओर से उपस्थित हुए हैं और वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है, को सुना।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 30/2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बी.एन.एस.") की धारा 64, 351(3) के अंतर्गत, थाना- दही, जिला- उन्नाव के संबंध में दायर की है।

3. इस आवेदन पर विचार करने और आवेदक के हितों की रक्षा करने के लिए, इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताए गए तथ्यों पर विचार किया, निम्नलिखित सहित :-

(i) दिनांक 11.09.2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन देकर दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक ने पीड़िता के घर में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया एवं उसकी तस्वीरें भी लीं।

(ii) आवेदक द्वारा दिनांक 07.02.2025 को किए गए कथित अपराध के बाद, पीड़िता ने पहली बार दिनांक 11.09.2025 को उन्नाव के पुलिस अधीक्षक के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समक्ष एक आवेदन दिया और उसके तुरंत बाद दिनांक 12.09.2025 को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी एक ऑनलाइन शिकायत की तथा उसके बाद दिनांक 08.10.2025 को पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन दिया। इस प्रकार, लगभग 7 महीने के बड़े विलंब के बाद पीड़िता जागी और यह विलंब खुद बताता है कि आवेदक के विरुद्ध गलत इरादे से आरोप लगाए गए हैं।

(iii) कथित घटना के दिनांक यानी 07.02.2025 को आवेदक की उम्र लगभग 19 वर्ष थी और पीड़िता की उम्र लगभग 21 वर्ष थी।

(iv) अभिलेख में चिकित्सकीय राय, जो अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न है, अभियोजन पक्ष की कहानी को समर्थित नहीं करती है।

(v) पीड़िता के अनुसार, अन्वेषण अधिकारी (संक्षेप में 'आई.ओ.') के समक्ष उसने कहा कि घटना दिनांक 07.02.2025 को हुई थी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने कहा कि घटना दिनांक 07.07.2025 को हुई थी, जो टंकण संबंधी गलती हो सकती है।

4. आगे कहा गया है कि अनुलग्नक संख्या 7 (नोटरी समझौते की प्रति), हालांकि विवाह का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बताता है कि पीड़िता तथा आवेदक, संपर्क/संबंध में थे तथा प्राथमिकी सिर्फ आवेदक पर उस संबंध को जारी रखने हेतु दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई है।

5. इस न्यायालय ने दीपक कुमार साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025 आईएनएससी 929) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी विचार किया, जिसके अनुसार, अगर पीड़िता एक वास्तविक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साक्षी है, तो चिकित्सीय साक्ष्य के बिना, दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जा सकता है।

6. उचित विचार-विमर्श के बाद, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

7. इसलिए, एक अंतरिम उपाय के तौर पर, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त-आवेदक- रविशंकर को ऊपर बताए गए आपराधिक वाद (उपरोक्त) में 25,000/- रुपये रूपए की निजी प्रतिभू तथा उतने ही रूपए के दो प्रतिभूओं, जिनमें से एक अभियुक्त-आवेदक के परिवार का सदस्य होगा, देने पर तुरंत अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार, इन शर्तों के साथ :-

(i) कि अभियुक्त-आवेदक जब भी जरूरत हो, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा तथा अन्वेषण में सहयोग करेगा;

(ii) कि अभियुक्त-आवेदक, मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले; और

(iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने हेतु एक हफ्ते का समय मांगा है तथा उन्हें यह समय दिया जाता है और इससे ज्यादा समय नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. इस आवेदन को दिनांक 19.03.2026 को प्रथम 20 वाद में सूचीबद्ध करें/लगाएं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर प्रतिवादी सांख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता अगले दिनांक पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो बीमारी के आधार सहित किसी भी आधार पर वाद टाला नहीं जाएगा और न्यायालय वाद का निर्णय, वाद के गुणदोष के आधार पर करेगा।"

4. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह सिद्ध नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य है, जो विरोध में हो। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण की कार्यवाही या अन्यथा सहयोग नहीं किया है या कोई और ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले के गुण-दोष पर बुरा असर डाल सकता है।

5. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है तथा आवेदक- **रविशंकर** की अग्रिम जमानत को विचारण (ट्रायल) के निस्तारण तक, इन शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है :-

(i) कि आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iii) कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) कि आवेदक हर तय दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v) कि आवेदक, अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।

6. अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।